

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड - आधिकारी कोटपूतली
महावी बनाम कोपल

मुकदमा संख्या/वर्ष 14/2024 प्रति पत्र पल्लेजुडी /20

क्रं. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पल्लेजुडी सीमाएँ विवादित हैं। यह आ. सं. 100 नं. 484/1.24 है। वरिष्ठ न्यायाधीश कोर्ट के द्वारा सीमाएँ विवादित 24.10.24 को अंतर्गत पल्लेजुडी लाहौर न्यायालय को अर्पित कर उन्नीस-सोठवीं नं. पल्लेजुडी विवादित हैं। अर्थात् लखीमपुर कोटपूतली को विवादित हैं। यामात्र लखीमपुर जापी है। निम्नलिखित आ. सं. 100 नं. 11/24 को सारे इन्फॉर्मेशन प्रमाणित है।</p>

उपखण्ड अधिकारी
 कोटपूतली (कोटपूतली-पल्लेजुडी)